



RIMS/Estb.(1-A) संचिका संख्या-389/स्था0(राजपत्रित)655.RIMS, Ranchi Dated.29.04.25

कार्यालय आदेश

दिनांक 03.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में रिम्स, राँची में कार्यरत चिकित्सक (शैक्षणिक संवर्ग) को रिम्स विनियम 2014 में निहित प्रावधानों के तहत प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अपर-प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर वेतनमान 14A – (PB - IV 37,400 – 67,000 ग्रेड पे0 10500, Minimum Basic Pay 62,100 + NPA + Other allowances में निम्नलिखित चिकित्सक (शैक्षणिक संवर्ग) को स्तम्भ 4 में अंकित तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of the officer	Department	Date of Promotion
1	2	3	4
1.	Dr. Dipali Singh	Anesthesia Superspeciality	01.07.2024
2.	Dr. Prakash Kumar	Cardiology	01.07.2024
3.	Dr. Ashok Kumar Sharma	Microbiology	01.07.2024
4.	Dr. Kiran Trivedi	Obs. & Gynaecology	01.07.2023
5.	Dr. Neelam Nalini	Obs. & Gynaecology	01.07.2023
6.	Dr. Sunil Kumar	Ophthalmology	01.07.2023
7.	Dr. Govind Kumar Gupta	Orthopaedics	01.07.2023
8.	Dr. Partha Kumar Chaudhari	Paediatrics	01.07.2023
9.	Dr. Abha Kumari	Pharmacology	01.07.2023
10.	Dr. Lakhan Manjhee	Pharmacology	01.07.2024

Dental Faculties

Sl.	Name of the officer	Dental Department	Date of Promotion
1.	2	3	4
1.	Dr. Prashant Gupta	Oral Medicine Radiology	01.07.2024
2.	Dr. Bishnupati Singh	Prosthodontics	01.07.2024
3.	Dr. Ajoy Kumar Shahi	Oral Maxillofacial Surgery	01.07.2024

उक्त पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार –सह- अध्यक्ष शासी परिषद् रिम्स का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक 655/रिम्स, राँची, दिनांक 29/04/25
प्रतिलिपि: रिम्स के सूचनापट्ट पर सूचनार्थ।

29/04/25

29.4.25

29.4.25

प्रतिलिपि: सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर निदेशक (प्रशासन)/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक/संबंधित विभागाध्यक्ष/उप निदेशक (वित्त)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ प्रशासनिक पदाधिकारी/ लेखा पदाधिकारी, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल/मुख्य रोकड़पाल/विपत्र लिपिक (राजपत्रित)/निदेशक कोषांग, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

29/4/25 29.4.25 29.4.25

ज्ञापांक 655...../रिम्स, राँची, दिनांक 29/04/25

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, रिम्स, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे माननीय मंत्री के संज्ञान में लाने की कृपा की जाय।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

29/4/25 29.4.25 29.4.25